उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"उ0प्र0 सरकार" की मंशानुसार पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शारदीय नवरात्र के पर्व पर "मिशन शक्ति" के विशेष अभियान फेज-05 के तहत किया जा रहा कार्यक्रमों का आयोजन ।

उ०प्र० शासन की मंशानुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज -05) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.10.2024 को जनपद महोबा के समस्त थानों की पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जनपद महोबा के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रअन्तर्गत स्कूल-कॉलेज, मंदिर, पार्क, मॉल, आटो/बस स्टैंड व दुर्गा पुजा पंडाल सहित ग्रामीण कस्बों में जाकर महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया गया है। सभी को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-5 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई है और शासन/पुलिस द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा उनके सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 11.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा साहू इंटरनेशनल स्कूल कबरई, महोबा में स्कूली छात्राओं को जागरुकता पाठशाला के माध्यम से नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सम्मान हेतु किया गया जागरूक-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज-5 के तहत आज दिनांक 11.10.2024 को थाना कबरई क्षेत्रअन्तर्गत साहू इंटरनेशनल स्कूल कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा में महिला सशक्तिकरण हेतु एक जागरुकता कार्यशाला का आयोजन क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे एवं प्रभारी निरीक्षक कबरई तथा महिला बीट पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।

पुलिस टीम द्वारा इस दौरान मिशन शक्ति फेज-5 तहत आयोजित जागरुकता पाठशाला में नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन एवं नारी सशक्तिकरण हेतु उपस्थित स्कूली छात्राओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओ के संबंध में जानकारी दी गयी साथ ही किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090,1098 के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया व जागरुकता पम्पलेट का वितरण किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 11.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 09 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रिया कलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 विकासधर दुबे व उ0नि0 सत्यम मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 09 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.जीतेन्द्र कुशवाहा पुत्र मुन्नालाल उम्र 23 वर्ष 2.धर्मदास कुशवाहा पुत्र ठाकुरदास उम्र 20 वर्ष 3.रवि अनुरागी पुत्र हल्के उम्र 21 वर्ष 4.रामकरन कुशवाहा पुत्र गौरीशंकर उम्र 36 वर्ष 5.देवकीनन्दन अहिरवार पुत्र मन्नू उम्र 26 वर्ष 6.राहुल विश्वकर्मा पुत्र अनन्तराम उम्र 20 वर्ष 7.ऋषि राजपूत पुत्र दुलीचन्द उम्र 20 वर्ष 8.खलक सिंह पुत्र रतिराम उम्र 28 वर्ष 9.आशीष यादव पुत्र विनोद उम्र 19 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम बरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को ग्राम बरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामा तलाशी से 2400/- रूपये तथा मालफड 3600/- रूपये कुल 6000/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 219/24 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 विकासधर दुबे
2. उ0नि0 सत्यम मिश्रा
3. का0 हरिओम यादव
4. का0 विकास सरोज

थाना श्रीनगर एवं आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध की कड़ी कार्यवाही, 37 लीटर अवैध शराब के साथ 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, मौके से बरामद 06 क्विंटल लहन किया नष्ट-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक शिवपाल सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया। अवैध शराब के विरुद्ध गठित संयुक्त पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के कबूतरा डेरा किशोरगंज बिलरही के पास से 03 नफर अभियुक्तागण क्रमशः 1.श्रीमती परी पत्नी शंकर कबूतरा उम्र 20 वर्ष 2.श्रीमती सुलोचना पत्नी मनीराम कबूतरा उम्र 58 वर्ष 3.श्रीमती पायल पत्नी आयूष कबूतरा उम्र 31 वर्ष समस्त निवासीगण कबूतरा डेरा किशोरगंज मजरा बिलरही थाना श्रीनगर जनपद महोबा जिनके कब्जे से 03 अलग-अलग प्लाष्टिक की पिपियों में कृमशः 14 लीटर, 11 लीटर व 12 लीटर कुल 37 लीटर कच्ची देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इस दौरान मौके पर करीब 600 Kg बरामद मिश्रित लहन को नष्ट किया गया है। अभियुक्ताओं से हुई अवैध शराब की बरामदगी के आधार पर थाना श्रीनगर में क्रमश मु0अ0सं0 220/24, 221/24 व 222/14 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह थाना श्रीनगर महोबा
2. आबकारी निरीक्षक कनीज फातिमा क्षेत्र 1 महोबा मय हमराह

बरामदगी –

अभियुक्तागण के कब्जे से कृमशः 14 लीटर, 11 लीटर, 12 लीटर कुल 37 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना व करीब 600 किग्रा. लहन मौके पर नष्ट किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर माँ चण्डिका देवी मन्दिर प्रांगण में कन्या भोज कार्यक्रम के दौरान देवी स्वरूप कन्याओ को कन्या भोज कराया गया एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरुक-

आज दिनांकः- 11.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्रअन्तर्गत माँ चण्डिका देवी मन्दिर प्रांगण में शारदीय नवरात्रि की महानवमी के पावन अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित 'कन्या पूजन' उपहार वितरण समारोह में देवी स्वरूप कन्याओं को मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरुक किया गया एवं नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य में कन्या पूजन, कन्या भोज कराते हुए कन्याओं को उपहार वितरण किया गया।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) श्री रामप्रकाश, उपजिलाधिकारी सदर श्री जितेन्द्र सिंह, डीपीओ सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के दौरान महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति फेज – 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके सशक्तिकरण हेतु शासन द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ,निराश्रित महिला पेंशन योजना ,मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अभ्युदया योजना इत्यादि की जानकारी प्रदान की गई एवं विपरीत परिस्थितियों में उनकी सहायतार्थ प्रचलित विभिन्न हेल्प लाइन नंबर -:1098 चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर, 1090 महिला हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकाल, 102 स्वास्थ्य सेवा नंबर,108 एम्बुलेंस नंबर, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन नंबर, 1930 साइबर हेल्प लाइन नंबर आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई व पम्पलेट व गिफ्ट वितरित किए गये।

आयुक्त व डीआईजी महोदय द्वारा संयुक्त रुप से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से कोतवाली नगर महोबा क्षेत्र अन्तर्गत विसर्जन हेतु चिन्हित विभिन्न स्थलो का भौतिक सत्यापन किया गया, विसर्जन स्थलों मे समस्त सुरक्षात्मक प्रबंधों का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए-

आज दिनांक 11.10.2024 को श्री बालकृष्ण त्रिपाठी, आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा, श्री अजय कुमार सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा द्वारा श्री मृदुल चौधरी, जिलाधिकारी महोबा व पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के साथ जनपद महोबा में माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने व विसर्जन स्थलों पर मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में थाना कोतवाली नगर में चिन्हित विसर्जन स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया।

इस दौरान डीआईजी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन हेतु चिन्हित स्थलों का भौतिक सत्यापन कर लिया जाये, पूर्व में हुए विवादों पर सतर्क दृष्टि रखी जाये, सभी दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखते हुए मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया को जल्द शुरु करा दिया जाये।

निर्देशित किया गया कि दुर्गा प्रतिमाओं के सकुशल विसर्जन हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाये, सुरक्षा के दृष्टिगत इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि प्रतिमा विसर्जन हेतु किसी को भी गहरे पानी में जाने न दिया जाये, प्रतिमा विसर्जन हेतु मालवाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्रॉली, पिकअप, लोडर इत्यादि में यात्रा न हो क्यों कि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है।

सभी विसर्जन स्थलों में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था करा दी जाये, जिससे किसी भी प्रकार की व्यवधान की स्थिति न उत्पन्न होने पाए व चिन्हित लोगों को ही मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया में जाने दिया जाये।